A-14 ... 6.2.21

कार्यालय–जिला न्यायाधीश, भदोही।

29

आदेश संख्या– 87/ दिनांक:भदोही 6, 2021

आदेश

दिनांक–05.02.2021 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कमलेश सिंह जयसवार के द्वारा एक प्रत्यावेदन प्रशासनिक अधिकारी श्री श्रीकुमार को प्राप्त कराया गया, जिसे प्रशासनिक अधिकारी श्री श्रीकुमार मेरे समक्ष लाये और उन्होंने बताया कि यह प्रत्यावेदन कमलेश सिंह जयसवार के द्वारा चतुर्थ श्रेणी संघ की ओर से दिया जा रहा है। श्री श्रीकुमार द्वारा यह भी बताया गया कि अभी मैंने इसकी प्राप्ति नहीं की है और श्री कमलेश सिंह जयसवार मेरे साथ आकर आपके विश्राम कक्ष के बाहर उपस्थित हैं। तत्पश्चात् श्री कमलेश सिंह जयसवार ने उक्त प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत करने की सहमति जताई और यह कहा कि उक्त प्रतिवेदन उनके द्वारा न्यायालय के दो स्वीपर क्रमशः अनवर अली व अब्दुल कलाम के प्रतिवेदन के आधार पर दिया जा रहा है। मेरे द्वारा यह पूछने पर कि ऐसा प्रतिवेदन आपके संघ के द्वारा क्यों दिया जा रहा है? तब श्री कमलेश सिंह जयसवार द्वारा बताया गया कि यह प्रतिवेदन देने से पूर्व उन्होंने प्रांतीय संघ से पूछा है। यह प्रतिवेदन अंजुमन हिमायत चपरासियान के लेटर पैड पर दिया गया है, जिस पर कुल 8 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के हस्ताक्षर हैं। ये सभी 8 कर्मचारीगण सर्वश्री ओम बहादुर श्रीवास्तव दफ्तरी न्यायालय सिविल जज जू0डि0, कृपाशंकर अमीन अर्दली, कमलेश सिंह जैसवार अर्दली न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अब्दुल नवाब चिकवा दफ्तरी, न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश तृतीय, जयशंकर प्रसाद अर्दली न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, संजय राय, छक्कूलाल प्रोसेस सर्वर व राजेश कुमार जायसवाल दफ्तरी न्यायालय अपर जिला जज द्वितीय हैं। उक्त कर्मचारीगण की तरफ से प्रतिवेदन दिए जाने की प्रक्रिया उचित प्रतीत नहीं होती है तथा ऐसे में उक्त कर्मचारीगण जिनके द्वारा इस प्रत्यावेदन पर हस्ताक्षर किए गये हैं, के विरूद्ध प्रारम्भिक जांच किया जाना आवश्यक है।

अतः इस प्रकरण की प्रारंभिक जांच संस्थित की जाती है तथा जांच अधिकारी श्री आलोक कुमार यादव अपर जनपद न्यायाधीश/प्रभारी अधिकारी नजारत को नामित किया जाता है। जांच अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह अन्दर सप्ताह जांच कर अपनी आख्या मेरे समक्ष प्रस्तुत करें।

प्रशासनिक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रारम्भिक जांच संख्या आबंटित करते हुए तदनुसार वांछित आवश्यक प्रपत्र जांच अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।